न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–दिनेश कुमार यादव,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 32/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
हनुमानप्रसाद पुत्र सुरजमल जाति अग्रवाल, आयु 70 वर्ष, निवासी श्यामगढ हाल राजकीय अस्पताल के सामने नावां, जिला नागौर		1. गुरूप्रसाद तंवर, तहसीलदार नावां 2. कैलाश कुमार पुत्र गौरीशंकर 3. गायत्रीदेवी पत्नि स्वर्गीय गौरीशंकर 4. मंजूश्री पुत्री स्वर्गीय गौरीशंकर 5. राजश्री पुत्री स्वर्गीय गौरीशंकर समस्त जाति माहेश्वरी महाजन निवासीगण पिपली बाजार, नावां सिटी, तहसील नावां जिला नागौर। 6. रूपनारायण पुत्र जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी लुणदा हाल निवासी तहसील के पास नावां सिटी तहसील नावां जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री पीर मोहम्मद खान ।
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा, अप्रार्थी संख्या–2 से 6 की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास।

आदेश **दिनांक–06.01.2020**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या–02/2016 हनुमानप्रसाद बनाम कैलाश कुमार वगैरह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां के समक्ष नामान्तरकरण प्रकरण संख्या 02/2016 हनुमानप्रसाद बनाम कैलाश कुमार वगैरह विचाराधीन है। उक्त पत्रावली दिनांक 08.02.2016 को पुनः तहसीलदार नावां में दर्ज की गई है, जो कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर निर्णय दिनांक 07.01.2016 की पालना में दर्ज की गई है। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के अनुसार उभय पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का नये सिरे से विधिक निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया है।

उक्त प्रकरण दिनांक 08.02.2016 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां में विचाराधीन है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 कैलाशनारायण व अप्रार्थी संख्या 6 रुपनारायण द्वारा दिनांक 22.01.2019 की आदेशिका में आया है कि दिनांक 27.01.2017 को इनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 336 निरस्त का नोट अंकित करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 22.01.2019 को विस्तृत आदेश पारित कर दिया गया तथा निरस्त नहीं करने का औचित्य माना, जिस आदेश को अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चेलेन्ज आज दिन तक नहीं किया गया है।

वर्तमान में अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नावां के पद पर गुरूप्रसाद तंवर की नियुक्ति हुई है तथा उक्त प्रकरण का अप्रार्थी संख्या 6 रूपनारायण तहसील में स्टाम्प वेन्डर है तथा उसके

कलक्टर, नागौर

भाई मालचंद व पुत्र हरीश तहसील में टाईपिस्ट है तथा छोटा पुत्र कन्हैयालाल तहसील में एडवोकेट हैं, जो सभी वर्तमान तहसीलदार गुरूप्रसाद तंवर के मिलने वाले हैं, जिनके प्रभाव में आकर के तहसीलदार नावां ने अपना पदग्रहण करने के कुछ दिन पश्चात ही दिनांक 04.11.2019 को आदेश पारित कर पूर्व तहसीलदार (पीठासीन अधिकारी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2019 को संशोधन कर निरस्त कर दिया, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तमान तहसीलदार उक्त व्यक्तियो के प्रभाव में व दबाव में हैं।

विधि का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी पीठासीन अधिकारी उसी न्यायालय के पूर्व के पीठासीन अधिकारी के आदेश को निरस्त अथवा परिवर्तन नहीं कर सकता है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार ने उक्त आदेश गलत पारित किया है, जिस पर उसी वक्त मुझ प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं है, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने धमकी दी कि आप उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवा लेवे, अन्यथा आगामी पेशी दिनांक 27.11.2019 को या उसके बाद आपके विरूद्व आदेश करूंगा, इस प्रकार पीठासीन अधिकारी का कृत्य बेबुनियादी व अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम अधिकारी के पास उचित और विधिक सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करवाये जाने के यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो न्यायोचित व उचित होने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नावां के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2016 बअनवान हनुमानप्रसाद बनाम कैलाश कुमार वगैरह की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर मनगढ़त आरोप लगाये है, जिनका कोई ठोस आधार वकील प्रार्थी ने नहीं बताया है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय 07.01.2016 की पालना में प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री श्यामकुमार व्यास ने अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को हूबह दोहराते हुऐ कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो आवेदन राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित करने बाबत पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना हेतु पटवारी को लिखा गया। तहसीलदार ने अलग से किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया है।

अप्रार्थी संख्या 6 रूपनारायण का तहसील में स्टाम्प वेण्डर होना तथा उनके भाई मालचंद व उनके पुत्र हरीश का टाईपिस्ट होना तथा छोटा पुत्र कन्हैयालाल का तहसील में एडवोकेट होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि तहसीलदार जी उनके अनुचित दबाव में है, न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश की गई है। क्योकि उक्त सभी व्यक्ति वर्षों से तहसील कार्यालय में अपना–अपना कार्य करते है। यदि इनका इतना प्रभाव होता तो राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वर्ष 2016 में निर्णय पारित किया गया था उसकी पालना अप्रार्थी कभी करवा लेते। बल्कि अप्रार्थीगण तो विधि अनुसार कार्यवाही कर रहे है। प्रार्थी जानबूझ कर इस प्रकरण का लम्बा करना चाहता है क्योंकि प्रकरण वर्ष 2002 से विचाराधीन है।

अप्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं रिव्यू प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में पेश किया जाता है जिस न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन विधि अनुसार पेश किया गया है। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा गलत है कि पीठासीन अधिकारी ने आगामी पेशी 27.11.19 को या उसके बाद आदेश करने की कोई धमकी दी हो, क्योंकि यदि ऐसा होता तो पीठासीन अधिकारी हल्का पटवारी को उसी समय अपने आदेश की पालना करवाने हेतु आदेशित करते। किन्तु पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 27.11.19 तक उक्त प्रकरण में स्वंय ने कार्यवाही रोके जाने बाबत आदेशिका में अंकित किया है, जो कार्यवाही आज दिन तक रूकी हुई है। साथ

ही प्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 04.11.2019 के विरूद्ध संभागीय आयुक्त अजमेर में अपील भी अलग से प्रस्तुत कर दी है। इससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा धमकी दिये जाने का कथन पूर्णतया मिथ्या एवं गलत है। प्रार्थी येनकेन तरीके से इस प्रकरण में निस्तारण नहीं होने देना चाहता है, इसी नियत से प्रकरण को लम्बा करने की गरज से यह आवेदन पेश करने का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मय खर्चा हर्जा खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी का कथन कि उक्त प्रकरण का अप्रार्थी संख्या 6 रूपनारायण तहसील में स्टाम्प वेन्डर है तथा उसके भाई मालचंद व पुत्र हरीश तहसील में टाईपिस्ट है तथा छोटा पुत्र कन्हैयालाल तहसील में एडवोकेट हैं, जो सभी वर्तमान तहसीलदार गुरूप्रसाद तंवर के मिलने वाले हैं, जिनके प्रभाव में आकर के तहसीलदार नावां ने अपना पदग्रहण करने के कुछ दिन पश्चात ही दिनांक 04.11.2019 को आदेश पारित कर पूर्व तहसीलदार (पीठासीन अधिकारी) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2019 को संशोधन कर निरस्त कर दिया, जिससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तमान तहसीलदार उक्त व्यक्तियो के प्रभाव में व दबाव में हैं। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये उपरोक्तानुसार आरोपों को गलत एवं मनगढ़त बताते हुऐ अप्रार्थी संख्या–6 रूपनारायण व मालचन्द को जानने से ही इंकार किया है। वकील अप्रार्थीगण ने भी अप्रार्थीगण पर लगाये गये आरोपों को पूर्णतया गलत होने का कथन करते हुऐ आरोपों को अस्वीकार किया है। वकील प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार नांवा, उपरोक्तानुसार रूपनारायण, मालचंद, हरीश व कन्हैयालाल के प्रभाव व दबाव में होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जहां तक अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2019 को वर्तमान पीठासीन अधिकारी तहसीलदार नांवा द्वारा दिनांक 04.11.2019 को आदेश पारित कर संशोधन कर निरस्त करने का प्रश्न है, तो उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.11.2019 को कैलाश कुमार व रूपनारायण शर्मा के अधिवक्ता श्री बजरंगलाल द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्पेशल अपील 3407/2011 में पारित निर्णय दिनांक 7.1.2016 के कम में आदेश दिनांक 04.11.2019 पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 04.11.2019 न्यायिक प्रकिया के तहत पारित किया है। उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी का कथन है कि उक्त आदेश दिनांक 04.11.2019 के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थीगण द्वारा अपील भी प्रस्तुत की जा चुकी है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप विधि सम्मत एवं ठोस आधारों पर नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांवा को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 17:56:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: